न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 17-04-2026
सेशन प्रकरण संख्याः 83/24
सी.आई.एस नंबर 103/23
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या -113/23 थाना रामगढ़
अंतर्गत धारा - 148, 302 सपठित धारा 149, 120B भा.दं.सं.
अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
उपस्थितः-अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अजीत यादव, अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अमर सिंह यादव अधिवक्ता परिवादी ।

बनाम

अभियुक्तगणः-

1. मनसुख सैनी पुत्र मवासी राम उर्फ अन्ना
2. खेमचंद उर्फ खेमा पुत्र ज्ञानी
3. हरीशचंद उर्फ हरचंद पुत्र गिरधारीलाल

निवासीयान - मिलकपुर, पुलिस थाना रामगढ़, अलवर

उपस्थितः-श्री अशोक शर्मा विद्वान अधिवक्ता ।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	28.02.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	01.03.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	31.05.2023
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	17.07.2023
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	28.07.2023

निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	17.04.2026
निर्णय की तिथि	17.04.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि [यदि हो तो]	17.04.2026

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क.अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी डब्ल्यू 1	इसराईल	फर्द पंचायतनामा , नक्शा मौका घटनास्थल, बयान 161 सीआरपीसी , फर्द जब्ती पैन ड्राईव
पी डब्ल्यू 2	सिराजु खां	नक्शा मौका घटनास्थल, बयान 161 सीआरपीसी, फर्द जब्ती खून आलूदा
पी डब्ल्यू 3	मुस्ताक	तहरीरी रिपोर्ट, बयान 161 सीआरपीसी, फर्द जब्ती खून आलूदा व फर्द जब्ती ट्रेक्टर, 65 बी का प्रमाण पत्र व पेश फोटोग्राफ , पैन ड्राईव
पी डब्ल्यू 4	मौसमदीन	फर्द जब्ती पैन ड्राईव
पी डब्ल्यू 5	रहमदीन	फर्द पंचायतनामा, बयान 161 सीआरपीसी, शिनाख्तगी लाश व सुपुर्दगी लाश
पी डब्ल्यू 6	अशरफ उर्फ असरथ	फर्द पंचायतनामा
पी डब्ल्यू 7	रफीक	फर्द पंचायतनामा
पी डब्ल्यू 8	साहुन	फर्द पंचायतनामा
पी डब्ल्यू 9	शकील	बयान 161 सीआरपीसी
पी डब्ल्यू 10	आरिफ	पेश डीवीआर
पी डब्ल्यू 11	दीन मोहम्मद	बयान 161 सीआरपीसी
पी डब्ल्यू 12	सुभान	बयान 161 सीआरपीसी

पी डब्ल्यू 13	सुबेदीन	बयान 161 सीआरपीसी
पी डब्ल्यू 14	आमीन खां	फर्द तस्दीक नक्शा मौका, फर्द जब्ती डीबीआर, फर्द गिरफतारी मुलजिम मनसुख, खेमचंद व हरीश
पी डब्ल्यू 15	ओमप्रकाश	फर्द नक्शा मौका, फर्द बरामदगी बोतल
पी डब्ल्यू 16	सूरज	फर्द गिरफतारी खेमचंद , फर्द तस्दीक नक्शा मौका एफएसएल, डीबीआर, पैन ड्राईव
पी डब्ल्यू 17	महबूब	फर्द गिरफतारी हरीश
पी डब्ल्यू 18	कृष्ण कुमार	फर्द तस्दीक मौका
पी डब्ल्यू 19	भम्बल	फर्द बरामदगी मौका, फर्द जब्ती बोतल, फर्द ट्रेक्टर व फर्द डीबीआर
पी डब्ल्यू 20	सुरेन्द्र कुमार	कायमी अनुसंधान, चार्जशीट किता
पी डब्ल्यू 21	अमीचंद	फर्द पंचायतनामा, फर्द सुपुर्दगी
पी डब्ल्यू 22	डॉ० बाबूलाल यादव	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पी डब्ल्यू 23	श्यामलाल	एफएसएल रसीद
पी डब्ल्यू 24	अरूण प्रताप सिंह	जमा मालखाना

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

-अभियोजन /बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजो की प्रकृति प्रदर्श
1	प्रदर्श पी–01	नक्शा मौका घटनास्थल

2	प्रदर्श पी–02	फर्द जब्ती पैन डाईव व दस कलर फोटोग्राफ
3	प्रदर्श पी–03	फर्द पंचायतनामा
4	प्रदर्श पी–04	फर्द जप्ती खून आलुदा मिट्टी व सादा मिट्टी
5	प्रदर्श पी–05	बयान 161 सीआरपीसी मुस्ताक
6	प्रदर्श पी–06	तहरीरी रिपोर्ट
7	प्रदर्श पी–07	चाक एफआईआर
8	प्रदर्श पी–08	फर्द जप्ती ट्रेक्टर
9	प्रदर्श पी–09	बयान 161 सीआरपीसी रहमदीन
10	प्रदर्श पी–10	रसीद लाश
11	प्रदर्श पी–11	बयान 161 सीआरपीसी शकील अहमद
12	प्रदर्श पी–12	धारा 65बी का प्रमाण पत्र
13	प्रदर्श पी–13	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम मनसुख
14	प्रदर्श पी–14	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम खेमचंद
15	प्रदर्श पी–15	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम हरीश उर्फ हरचंद
16	प्रदर्श पी–16	मुलजिम खेमचंद की इत्तला मुताबिक तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका
17	प्रदर्श पी–17	फर्द जप्ती डीवीआर
18	प्रदर्श पी–18	फर्द बरामदगी
19	प्रदर्श पी–19	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
20	प्रदर्श पी–20	मुताबिक इत्तला मुलजिम हरीशचंद के

		बनाया गया तस्दीक घटनास्थल
21	प्रदर्श पी–21	एकनोलेजमेंट रिसीप्ट
22	प्रदर्श पी–22	मृतक नाहिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
23	प्रदर्श पी–23	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला मुलजिम मनसुख सैनी
24	प्रदर्श पी–24	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला मुलजिम खेमचंद उर्फ खेमा
25	प्रदर्श पी–25	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला मुलजिम हरीश चंद उर्फ हरचंद
26	प्रदर्श पी–26 लगायत पी–35	फोटो
27	प्रदर्श पी–36	मुश्ताक द्वारा दिया गया धारा 65 बी का प्रमाणपत्र
28	प्रदर्श पी–37	अग्रेषण पत्र जारी करवाने बाबत् एसपी अलवर को दिया गया पत्र
29	प्रदर्श पी–38	अग्रेषण पत्र जारी करवाने बाबत् एसपी अलवर को दिया गया पत्र
30	प्रदर्श पी–39	एसपी अलवर द्वारा जारी किया गया पत्र
31	प्रदर्श पी–40	एफएसएल जमा रसीद
32	प्रदर्श पी–41	एसपी अलवर द्वारा जारी किया गया पत्र
33	प्रदर्श पी–42	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
34	प्रदर्श पी–43 लगायत पी–56	प्रकरण में समस्त रवानगी व वापसी रोजनामचा आम

35	प्रदर्श पी 57	प्रार्थना पत्र अमीचंद

क.बचाव

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श डी. संख्या**
1	बयान 161 सीआरपीसी सुभान खां	प्रदर्श डी 1
2	बयान 161 सीआरपीसी सूबेदीन	प्रदर्श डी 2

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांकः 17.04.2026</u>**

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से **अभियुक्तगण मनसुख सैनी, खेमचंद उर्फ खेमा व हरीशचंद उर्फ हरचंद** के विरूद्ध अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। **प्रकरण में अभियुक्तगण गुलाब सिंह, मानसिंह, देवीसिंह, ताराचंद के विरूद्ध धारा 173 [8] सीआरपीसी में अनुसंधान पेण्डिंग रखा गया है।**

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मुश्ताक ने थाना रामगढ़, अलवर में रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 दिनांक 01.03.2023 को इस आशय की प्रस्तुत की कि "दिनांक 28.02.2023 को उसका भतीजा नाहिद पुत्र रहमदीन सुबह करीब 08.00-08.30 बजे ट्रेक्टर ट्रॉली लेकर माणकी से चिड़वाई की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मिलकपुर के बस स्टेण्ड के पास पुरानी रंजिश के चलते मुलजिमान मनसुख, हरचंद, गुलाब, खेमचंद, सुका, पोला, तारा व इनके परिवार की एक महिला व अन्य ने उसे देखते ही जान से मारने की नीयत से उसके उपर कांच की बोतल व पत्थर मारने शुरू कर दिये । जिसमें मनसुख ने कांच की बोतल फेंककर मारी जो सीधे उसके भतीजे के सिर में लगी तथा अन्य मुलजिमान ने उसके उपर पत्थरों से हमला किया । जिसमें उसका भतीजा ट्रेक्टर से गिर गया और मुलजिमान ने एकराय मशवरा होकर षडयंत्रपूर्वक पुरानी रंजिश के चलते पत्थर व कांच की बोतलों से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी । इस घटना की सीसीटीवी फुटेज वहीं पास में ही लगे हुए एक कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी । अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया .....इत्यादि ।

03. उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 113/2023 थाना रामगढ़, अलवर में अंतर्गत धारा 143, 302 भा.दं.सं. में दर्ज किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र

दिनांक 31.05.2023 को प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 120बी में प्रसंज्ञान लिया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय, अलवर को उपार्पित किया गया जहां से प्रकरण वास्ते निस्तारणार्थ इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

04. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 148, 302 सपठित धारा 149, 120बी भा.दं.सं. के आरोप से आरोपित किया गया तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लिये गये। जिसमें अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया, जिनको साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु अवसर दिया गया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर अवसर बंद किया गया।

06. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 28.02.2023 को समय करीब रात्रि 08.00-08.30 बजे मौजा मिलकपुर बस स्टेण्ड पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर नाहिद के साथ मारपीट कर आपराधिक बल का प्रयोग कर बल्वा कारित किया तथा हत्या करने के आशय से आपराधिक षडयंत्र रचकर परिवादी के भतीजे मृतक नाहिद पर कांच की बोतल व पत्थर से वार कर उसकी हत्या कारित की ?

यदि हाँ तो उचित दण्डादेश क्या होगा?

07. इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि परिवादी के भतीजे नाहिद की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई। डी.यू.आर. व एफएसएल की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। मृतक व अभियुक्तगण के मध्य कोई रंजिश का कारण सामने नहीं आया है व ना ही अभियुक्तगण ने मृतक नाहिद को

जान से मारने का कोई षडयंत्र बनाया था। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि अभियुक्तगण के द्वारा पीडित को मारने के संबंध में जानबूझकर कोई चोट कारित नहीं की गयी और ना ही पीडित के साथ कोई मारपीट की गयी तथा पीडित को मारने के लिए अभियुक्तगण के द्वारा कोई षडयंत्र भी नहीं किया गया । तथा पीडित की मृत्यु दुर्घटना में कारित हुयी है और पी.एम.आर करते समय भी दुर्घटना के बाबत ही अंकन किया गया है तथा जो डी.बी.आर एफ.एस.एल भेजी गयी थी उसकी कोई एफ.एस.एल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है तथा पीडित व अभियुक्तगण के मध्य कोई रंजिश हो जिसकी वजह से अभियुक्तगण ने पीडित की हत्या की हो ऐसी कोई रंजिश भी साबित नहीं की गयी है। प्रकरण में चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और किसी भी व्यक्ति ने दुर्घटना की कोई पुष्टि नहीं की है।

08. जबकि दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया की अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कहानी की ताईद होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

09. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण **में पी डब्ल्यू 3 परिवादी मुस्ताक** है। जिसने कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 दर्ज करवायी थी । उक्त गवाह एक अनुश्रुत गवाह है और पीडित का चाचा है। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है। उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में उल्लेख करता है कि वह ग्रेजुएट तक पढा है। उसका भतीजा ट्रेक्टर चलाता था । उसकी भतीजा दिनांक 28.02.2023 को सुबह आठ-साडे आठ बजे घर से ट्रेक्टर लेकर गया । करीब नौ बजे ट्रेक्टर का बैलेंस बिगडने से उसका एक्सीडेंट हो गया और ट्रोली से दबकर मर गया । उसने मनसुख, खेमचंद और हरीशचंद को नाहिद के साथ झगडा करते हुए और मारपीट करते हुए नहीं देखा और ना ही इन्होंने मारपीट की ।

10. जिरह में भी उक्त गवाह विरोधाभासी कथन करता है और यह उल्लेख करता है कि तहरीरी रिपोर्ट गांव के लोग लिखकर लाये थे और उसने उस पर बिना पढे हस्ताक्षर किये थे । तथा उसने घटना की सी.सी.टी.वी फुटेज नहीं देखी और गांव वालों के कहने के अनुसार उसने मृत्यु का कारण मारपीट बताया था । इस प्रकार उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है और अभियुक्तगण के के विरूद्ध कोई साक्ष्य

नहीं देता है।

11. प्रकरण में अन्य **गवाह पी डबलयू 1 इसराईल व पी डब्ल्यू 2 सिराजु खां** है । जो मृतक के चाचा हैं और उक्त दोनों गवाह भी प्रकरण में अनुश्रुत गवाह हैं और वक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे । उक्त दोनों गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि नूरदीन के पास किसी का फोन आया। उसने सूचना दी कि नाहिद की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। उसकी डेड बॉडी सरकारी अस्पताल रामगढ़ की मोर्चरी से प्राप्त कर उसे दफना दिया। उसके बाद उन्हें पता चला कि 10-12 आदमी व सैनी समाज के लोगों ने नाहिद को मार दिया है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने से उन्हें पता चला कि उसकी हत्या की गई थी। खेमचंद, हरचंद, तारा, गुलाब, मनसुख व पोला ने उसे पत्थर से मारा। मनसुख ने बोतल नाहिद के सिर में मारी और इन सबने मिलकर पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। नाहिद ट्रेक्टर से गिर गया ट्रेक्टर चलता रहा और ट्रेक्टर का पहिया नाहिद के उपर चढ़ गया।

12. उक्त गवाहान यह भी कथन करते हैं कि घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 पर गवाह पी.डब्ल्यू 01 ने ए से बी व पी.डब्ल्यू 02 ने सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताया। घटनास्थल की पेनड्राईव व फोटोग्राफ्स पुलिस को मुश्ताक ने दी, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी-02 व पुलिस द्वारा बनाया गया पंचनामा प्रदर्श पी-03 पर गवाह पी.डब्ल्यू 01 ईसराईल ने ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताया। पुलिस ने घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी उठाई, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी-04 पर गवाह पी.डब्ल्यू 02 सिराजू ने अपने ए से बी हस्ताक्षर होना बताया।

13. दौराने जिरह गवाह पी.डब्ल्यू 01 व पी.डब्ल्यू 02 ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने घटना होते नहीं देखी और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज देखी। साथ ही यह भी कथन किया कि उन्हें यही बताया गया था कि नाहिद की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। दोनों गवाहों ने यह भी स्वीकार किया कि उनके द्वारा जिन फर्दो पर हस्ताक्षर किए गए थे वह उन्हें पढ़कर सुनाए व समझाए नहीं गए थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके सामने पुलिस को घटना की पेनड्राईव व फोटोग्राफ नहीं दिए गए थे। गलतफहमी के कारण यह मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन लोगों का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है।

14. इस प्रकार उक्त दोनों गवाह भी अनुश्रुत हैं और वक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे और अभियुक्तगण के द्वारा पीडित पर हमला करने या मारपीट करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देते हैं।

15. **गवाह पी डब्ल्यू 4 मौसमदीन , पी डब्लयू 5 रहमदीन** है । उक्त दोनों गवाह भी **पक्षद्रोही** घोषित हुए हैं । गवाह पी डब्ल्यू 4 मौसमदीन मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह ड्राईवरी का काम करता है । उसके सामने पुलिस ने कोई पैन ड्राईव जब्त नहीं किया । पुलिस ने उससे खाली कागजों पर यह कहकर हस्ताक्षर करवाये थे कि इस पर उन्हें लिखापढी करनी है। उसके सामने प्रदर्श पी 2 तैयार नहीं किया गया था ।

16. गवाह पी डब्ल्यू 5 रहमदीन मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसके पांच लडके हैं। उसका बेटा नाहिद ट्रेक्टर चला रहा था । गिरने से ट्रेक्टर ट्रोली के नीचे दबने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी । उसके बेटे के साथ किसी ने मारपीट नहीं की और ना ही किसी ने पत्थर, बोतल वगै0 से मारा ।

17. जिरह में भी उक्त दोनों गवाह यह कथन करते हैं कि पुलिस ने खाली कागजों पर उनके हस्ताक्षर करवाये थे । इस प्रकार उक्त दोनों गवाह विरोधाभासी साक्ष्य देते हैं ।

18. **गवाह पी डब्ल्यू 6 अशरफ उर्फ असरथ, पी डब्ल्यू 7 रफीक, पी डब्ल्यू 8 साहुन** है । उक्त तीनों गवाह पंचायतनामे के गवाह हैं । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि पुलिस ने अस्पताल में मृतक नाईद खां की लाश का पंचनामा उसके, साहुन व रफीक के सामने बनाया। जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर सी से डी अशरफ उर्फ असरथ, ई से एफ रफीक, जी से एच साहुन के हस्ताक्षर हैं।

19. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करते हैं कि मृतक नाईद की मृत्यु ट्रेक्टर के नीचे आने से हुयी थी ।

20. प्रकरण में **गवाह पी डब्ल्यू 9 शकील** है। जो प्रकरण में चश्मदीद गवाह था और वक्त घटना घटनास्थल पर ही था । उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है। और

मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसकी मिलकपुर स्टैण्ड पर किराने, परचूनी और मोटरसाईकिल वैल्डिंग की दुकान है। वे परचूनी व कोल्ड ड्रिंक की थोक में दुकानदारी करते हैं । वे दुकान सुबह सात-आठ बजे खोलते हैं रात को साडे आठ बजे बंद करते हैं। उसकी दुकान पर दोनों साईड कैमरे लगे हुए हैं। किस तारीख की घटना है उसे याद नहीं है। उसने तो कैमरा देखा था । उसने कुछ नहीं देखा उसने किसी को मारते हुए नहीं देखा ।

21. जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि दुकान के दोनों साईड कैमरे लगे हुए थे और डिवाईस सही काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे उसे जानकारी नहीं है। और किसी ने हार्डडिस्क से छेडछाड की हो तो उसे जानकारी नहीं है। यद्यपि उक्त गवाह की दुकान पर कैमरे लगे हुए थे, परन्तु उसके द्वारा कैमरों का सी.सी.टी.वी फुटेज पुलिस को दौराने अनुसंधान उपलब्ध नहीं करवाया । और सी.सी.टी.वी फुटेज उपलब्ध करवाया हो इस संबंध में उक्त गवाह के द्वारा कोई साक्ष्य भी नहीं दी गयी है। इस प्रकार उक्त गवाह प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह होकर पक्षद्रोही घोषित हुआ है और घटना की पुष्टि नहीं करता है।

22. **गवाह पी डब्ल्यू 14 आमीन खां** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 01.03.23 को वह थाना रामगढ मे कानि0 के पद कार्यरत था। उस दिन आईओ साहब ने मु0नं0-113/23 को धारा 143 302 आई.पी.सी. में मुलजिम मनसुख सैनी को जुर्म से आगाह कर उसके व ओमप्रकाश कानि0 कि मौजुदगी में गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुललिम की जमा तलाशी ओमप्रकाश कानि0 के द्वारा दिलाई गई। जिसमे पहने कपडे के अलावा कुछ नहीं मिला। मुलजिम की गिरफतारी की सुचना उसके पिताजी भवासी राम उर्फ अन्ना का जरिये मोबाईल दी गई।

23. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दिनांक 02.03.23 को उक्त मुकदमे मे आइओ साहब ने मुलजिम खेमचंद उर्फ खेमा पुत्र ज्ञानी निवासी मिलकपुर पुलिस थाना रामगढ को जुर्म से आगाह कर उसके व सुरज कानि0 कि मौजुदगी में गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुललिम की जमा तलाशी सुरज कानि0 के द्वारा दिलाई गई। जिसमें पहने कपडे के अलावा कुछ नहीं मिला। मुलजिम की गिरफतारी की सुचना उसके छोटे भाई लालचंद को जरिये मोबाईल दि गई। दिनांक 10.03.23 को उक्त मुकदमे मे आइओ साहब ने मुलजिम हरीशचंद उर्फ हरचंद पुत्र गिरधारी लाल

निवासी मिलकपुर पुलिस थाना रामगढ को जुर्म से आगाह कर उसके,महबुब खॉ कानि0 कि मौजुदगी में गिरफतार किया था।

24. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुललिम की जमा तलाशी महबुब खॉ कानि0 के द्वारा दिलाई गई। जिसमे पहने कपडे के अलावा कुछ नहीं मिला। मुलजिम की गिरफतारी की सुचना उसके छोटे लडके जयकिशन को जरिये मोबाईल दी गई। दिनांक 03.03.23 को आईओ साहब ने जैर हिरासत मुलजिम खेमचंद उर्फ खेमा ने मुताबिक इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अपनी स्वेच्छा से आगे आगे चलकर मिलकपुर बस स्टैण्ड पर घटना कारित करने का स्थल बताया। मुलजिम कि निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका उसके व कृष्ण कुमार कानि0 की मौजूदगी में बनाया था, नक्शा मौका प्रदर्श पी 16 हैं। जिस पर ऐ सी बी उसके हस्ताक्षर है। अगले पृष्ठ पर हालात नक्शा मौका अंकित है।

25. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि घटना आरिफ की दुकान मेन रोड मिलकपुर परचुनी की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकोर्ड हुई है। जिस पर आरिफ खॉ ने डीवीआर दिनांक 04.03.23 को आईओ साहब को पैश कि जिसे एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर मार्का डी अंकित किया जिसकी फर्द जब्ती आईओ साहब ने उसके व बब्ल खॉ की मौजूदगी मे बनाई थी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 17 है। जिस पर ए सी बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर तीन जगह सील मोहर अंकित है।

26. जिरह में उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि अभियुक्तगण को थाने पर कौन लेकर आया उसे जानकारी नहीं है और नक्शे मौके आदि तैयार किये गये थे । और डी.बी.आर आरिफ के द्वारा पेश की गयी थी । इस प्रकार उक्त गवाह अपनी फर्दो की पुष्टि में कथन करता है।

27. **गवाह पी डब्ल्यू 15 ओमप्रकाश** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वहं दिनांक 02.03.23 को थाना रामगढ मे कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व भम्बल कानि0 के मौजूदगी मे मुलजिम मनसुख सैनी द्वारा दी गई इत्तला की अनुसरण में एक कॉच की ड्रयू की बोतल खाली व रंग हरा 300 एमएल जब्त कराई थी जिसे सील मोहर कर मार्का सी अंकित किया था। फर्द बरामदगी बोतल प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी उसके

हस्ताक्षर है एक्स स्थान पर नमुना सील अंकित है। फर्द नक्शा मोका बरामगदगी उक्त बोतल प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

28. जिरह में भी उक्त गवाह इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करता है और स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि मनसुख ने टूटी हुयी बोतल उसकी दुकान से ली थी और उक्त बोतल साधारण रूप से कहीं पर भी मिल सकती है। तथा प्रदर्श पी 18, पी 19 पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। बोतल आदि की बरामदगी के संबंध में यदि स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं है तो भी यह स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा मनसुख से बोतल को जब्त किया गया था । उक्त गवाह दस्तावेजों की पुष्टि में कथन करता है ।

29. **गवाह पी डब्ल्यू 16 सूरज** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 02.03.23 को थाना रामगढ मे कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु0न0 113/23 में आई.ओ. श्री सुरेन्द्र कुमार एस.एच.ओ साहब ने उसके व आमीन कानि0 की मौजूदगी में मुलजिम खेमचन्द उर्फ खेमा को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार का फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-14 बनाई थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। उसके द्वारा मुलजिम की जामा तलाशी में कोई वस्तु बरामद नही हुई थी। मुल0 की गिरफ्तारी की सूचना आई.ओ साहब ने मुलजिम के छोटे भाई लालचन्द के मोबाईल पर मुलजिम के कहेमुताबिक दे दी थी। दिनांक 11.03.23 को गिरफ्तारशुदा मुलजिम हरीश उर्फ हरचन्द ने मुताबिक ईतला स्वेच्छापूर्वक घटनास्थल तस्दीक कराया था। जहां का तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी-20 आई.ओ साहब ने उसके व कृष्ण कुमार कानि0 की मौजूदगी मे मौक पर तैयार किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर कराये थे। दिनांक 28.04.23 को मालखाना इंचार्ज ने उसे 02 शील्ड पैकेट उक्त प्रकरण मे एफ.एस.एल जाच हेतु जयपुर प्रयोगशाला जमा कराने के लिये दी थी। जिसे उसने उसी दिन एफ.एस.एल जांच हेतु जयपुर प्रयोगशाला मे जमा करवाया था। जिसकी रसीद प्रदर्श पी-21 उसने वापसी पर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दी थी जो शामिल पत्रावली है।

30. जिरह में उक्त गवाह भी स्पष्ट कथन करता है कि घटनास्थल आदि की तस्दीक अभियुक्त से करवायी गयी थी । और उक्त गवाह एफ.एस.एल के लिए जयपुर सील पैकेट लेकर गया था । और जिरह में भी स्पष्ट कथन करता है कि जो भी आर्टिकल वह लेकर गया था वह सीलबंद था ।

31. **गवाह पी डब्ल्यू 17 महबूब** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 10.03.2023 को कानि0 के पद पर थाना रामगढ मे तैनात था। उस दिन आई.ओ. श्री सुरेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक द्वारा मुकदमा संख्या 113/23 धारा 143,302 आई.पी.सी मे मुलजिम हरीश चन्द उर्फ हरचन्द पुत्र श्री गिरधारीलाल उम्र करीब 63 साल जाति माली निवासी मिलकपुर रामगढ अलवर को पुलिस थाना रामगढ पर गिरफ्तारी तैयार की थी। जिस पर वह ,व आमीन खान कानि0 के सामने फर्द गिरफ्तारी तैयार की थी जो प्रदर्श पी-15 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

32. उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त गवाह भी दस्तावेजों की पुष्टि में कथन करता है।

33. **गवाह पी डब्ल्यू 18 कृष्ण कुमार** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 03.03.2023 को थाना रामगढ मे कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु0न0 113/23 मे आई.ओ द्वारा मुलजिम खेमचन्द की निशादेही में उसके सामने तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी-16 है जिस पार सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 11.03.2023 को मुलजिम हरीश चन्द की निशादेही मे आई.ओ द्वारा तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जो प्रदर्श पी-20 है जिस पार सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

34. जिरह में उक्त गवाह यह कथन करता है कि घटनास्थल आदि की तस्दीक अभियुक्त से करवायी गयी थी और उक्त गवाह एफ.एस.एल के लिय जयपुर सील पेकिट लेकर गया था । जिरह में भी स्पष्ट कथन करता है कि जो भी आर्टिकल वह लेकर गया था वह सीलबंद थे ।

35. **गवाह पी डब्ल्यू 19 भम्बल** मुख्य परीक्षा में यह कथन करता है कि दिनांक 02.03.2023 को वह थाना रामगढ में कानि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसके सामने मुलजिम मनसुख की दफा 27 की ईतला पर ग्राम मिलकपुर पहुचे। मनसुख की परचूने की दुकान इशारा करके बताया। एक ड्यू की कांच की खाली बोतल रंग हरा जिसमें खून अलूदा निशान लगे हुए थे जो उसके व ओमप्रकाश कानि0 के सामने आई.ओ ने जप्त कर एक प्लास्टिक की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर मार्का सी अंकित किया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-18

तैयार की जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिस पर एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका आई.ओ के द्वारा उसके सामने तैयार किया गया जो प्रदर्श पी-19 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

36. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन आई.ओ. ने एक बिना नंबरी फार्म ट्रेक्टर मय ट्रोली को बतौर वजह सबूत उसके सामने जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-08 तैयार की जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 04.03.2023 को एक डीवीआर घटना दिनांक 28.02.2023 बस स्टेण्ड मिलकपुर की उसके सामने आई.ओ. द्वारा दुकानदार श्री आरिफ खां की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे को चैक कर देखकर डीवीआर को एक सफेद कपडे की थैली में जप्त कर शील्ड मोहर कर मार्का डी अंकित किया गया। जो फर्द जप्ती प्रदर्श पी-17 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है।

37. जिरह में उक्त गवाह भी स्पष्ट कथन करता है कि प्रदर्श पी 8 की जब्ती उसके सामने बनायी गयी थी । तथा डी.बी.आर भी उसके सामने ही जब्त की गयी थी तथा पत्रावली पर डी.बी.आर की जो सी.सी.टी.वी फुटेज है वह आर्टिकल 1 के रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार उक्त गवाह भी अपने दस्तावेजों की पुष्टि में पूर्ण रूप से साक्ष्य देता है और ऐसी कोई विरोधाभासी साक्ष्य नहीं देता है जिससे यह स्पष्ट हो कि उसके सामने कोई दस्तावेज आदि तैयार नहीं किये गये हो ।

38. **गवाह पी डब्ल्यू 21 अमीचंद** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 28.02.2023 को वह पुलिस थाना रामगढ में हैड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मृतक नाहिद खां के पोस्टमार्टम का नतीज रिपोर्ट बाबत एम ओ साहब सीएचसी रामगढ को उसके द्वारा तहरीर दी गई थी जिसको प्राप्त कर प्राप्ती रसीद प्रदर्श पी 57 जिस पर ए से बी एम ओ साहब डॉ. बाबूलाल यादव के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा पंचनामा की कार्यवाही मौजूद पंचान की उपस्थिति में की गई थी जो प्रदर्श पी 3 है । जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच मौजूद पंचान के हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर मौजूद पंच के अंगूठा निशानी तथा आई से जे उसके हस्ताक्षर है। लाश को मृतक के पिता रहमदीन को बाद पोस्टमार्टम के सुपुर्द की गई जिसकी रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 10 है । जिस पर एक्स स्थान पर रहमदीन की अंगूठा निशानी व ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पंचनामा

कार्यवाही व रसीद सुपुर्दगी लाश व एम.ओ साहब सीएचसी रामगढ की तहरीर की प्राप्ती रसीद वापसी थाना आकर थानाधिकारी को सुपुर्द कर दी थी।

39. जिरह में भी उक्त गवाह इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करता है और उल्लेख करता है कि पंचनामे में मृतक की मृत्यु दुर्घटना में होना बताया है। पंचनामे में भले ही यह तथ्य अंकित किये हो कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में हुयी है, परन्तु सी.सी.टी.वी फुटेज को देखने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मनसुख के द्वारा बोतल मारने के कारण मृतक का बैलेन्स खराब हुआ था और वह ट्रेक्टर के नीचे आ गया था ।

40. **गवाह पी डब्ल्यू 23 श्यामलाल** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 31.03.2023 को थाना रामगढ अलवर मे कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन एफ.आइ.आर नम्बर 113/23 अंतर्गत धारा 302,120बी, आई.पी.सी. जब्तशुदा तीन सील्डशुदा पैकेट एच.एम मालखाना से प्राप्त कर जयपुर एफ.एस.एल मे उसके द्वारा जमा कराकर रसीद प्रदर्श पी-40 प्राप्त कर वापस मालखाना इंचार्ज को सपुर्द की। रवानगी रपट प्रदर्श पी-54 व वापसी रपट प्रदर्श पी-56 है।

41. जिरह में गवाह कथन करता है कि उसने मालखाना रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किये, परन्तु उक्त गवाह द्वारा एफ.एस.एल से माल ले जाने के संबंध में पुष्टि की गयी है।

42. **गवाह पी.ड. 24 अरूण प्रताप सिंह** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 01.03.23 को वह थाना रामगढ मे मालखाना एचएम के पद पर कार्यरत था। उस दिन मु0न0 113/23 मे आई.ओ द्वारा एक सफेद कपडे की थैली शील्डसुदा मार्का ए जिसमे घटनास्थल की खून आलूदा मिट्टी है , एक सफेद रंग के कपडे की थैली शील्डसुदा मार्का बी जिसमें घटनास्थल की सादा मिट्टी है। दिनांक 02.03.23 को एक प्लास्टिक की थैली मार्का सी जिसमें एक ड्यू की बोतल मुलजिम मनसुख की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईतला पर एसएचओ साहब ने जप्त कर मालखाना मे जमा करवाई थी। उसी दिन एक ट्रेक्टर बिना नंबरी जिसको जप्त कर मालखाना मे जमा करवाया था। दिनांक 04.03.23 को एक सफेद कपडे की शील्डसुदा थैली मार्का डी जिसमें एक डीबीआर व एक पेनड्राईव जप्त कर मालखाना मे जमा एसएचओ साहब ने जमा करवाया था।

जिसका इन्द्राज उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 61 व 47 पर किया गया जो मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-42 है।

43. जिरह में गवाह कथन करता है कि उसे माल प्राप्त हुआ था । उसी दिन उसने रजिस्टर में इंद्राज किया था । इस प्रकार उक्त गवाह मालखाने में माल जमा कराने के संबंध में स्पष्ट रूप से साक्ष्य देता है।

44. प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण **गवाह पी डब्ल्यू 10 आरिफ** है। जिसके कि दुकान पर कैमरे लगे हुए थे और संपूर्ण घटना उसके सी.सी.टी.वी कैमरे में रिकॉर्ड हुयी थी । जिसकी सी.सी.टी.वी फुटेज भी उसके द्वारा न्यायालय में उपलब्ध करवायी हुयी है और साथ में धारा 65 बी का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाया गया है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसकी मिलकपुर में दुकान है। वह स्टाम्प वैण्डर है उसकी दुकान के बाहर मेन रोड पर दो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है। जिनकी डीवीआर उसकी दुकान के अंदर लगी हुई है। जिनमें घटना रिकॉर्ड हुई है। कैमरे व डीवीआर वक्त घटना सही काम कर रहे थे। उसने डीवीआर लेकर उसमें उपलब्ध रिकॉर्डिग पुलिस को पेश की थी जिस संबंध में उसने 65 बी का प्रमाण पत्र पेश किया था। 65 बी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसके दो जगह हस्ताक्षर है।

45. जिरह में भी उक्त गवाह इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करता है और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि पुलिस आयी थी और डी.बी.आर लेकर गयी थी । पुलिस ने ही रिकार्डिंग निकाली थी और जहां डी.बी.आर लगी हुयी है उस दुकान पर उसका भाई बैठता है। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह स्पष्ट रूप से साबित किया गया है कि उनकी दुकान पर सी.सी.टी.वी फुटेज लगे हुए थे । जो सी.सी.टी.वी फुटेज पुलिस के द्वारा दौराने अनुसंधान प्राप्त किये गये और उक्त सी.सी.टी.वी फुटेज में उसके द्वारा कोई छेडछाड आदि नहीं की गयी । इस संबंध में गवाह पी डब्ल्यू 10 आरिफ के द्वारा धारा 65 बी का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाया गया है।

46. पत्रावली पर पुलिस के द्वारा सी.सी.टी.वी फुटेज को पैन ड्राईव में लेकर न्यायालय में पैन ड्राईव आर्टिकल 1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। न्यायालय द्वारा जब पैन ड्राईव आर्टिकल 1 को चलाकर देखा गया और पत्रावली पर जो फोटोग्राफ्स हैं उनका अवलोकन किया जाए तो उससे यह स्पष्ट हुआ कि

मृतक नाईद ट्रेक्टर लेकर जा रहा था और अभियुक्त मनसुख के द्वारा एक हरे रंग की कांच की बोतल मृतक नाईद पर फेंकी गयी जिससे मृतक नाईद का बैलेन्स बिगड गया और वह चलते हुए ट्रेक्टर से नीचे गिर गया और पहिये के नीचे आने से उसकी मृत्यु हो गयी ।

47. इस प्रकार सी.सी.टी.वी फुटेज को देखने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मनसुख के द्वारा मृतक नाईद को ट्रेक्टर चलाते हुए कांच की बोतल फेंकी गयी जिससे उसका बैलेन्स खराब हुआ और ट्रेक्टर के पहिये के नीचे आने के कारण उसकी मृत्यु हुयी । अभियुक्त मनसुख का मृतक नाईद की हत्या करने का कोई आशय रहा हो इस संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये हैं। और किसी भी गवाह ने इस संबंध में कोई साक्ष्य भी नहीं दी है कि पीडित नाईद व अभियुक्त मनसुख व अन्य अभियुक्तगण के मध्य पूर्व में कोई रंजिश रही थी और उसी रंजिश के कारण उसने हत्या करने के आशय से कोई कार्य किया हो ।

48. एफ.आई.आर में यद्यपि यह तथ्य अंकित किये हैं कि अभियुक्तगण ने मृतक नाईद के साथ मारपीट आदि की थी, परन्तु सी.सी.टी.वी फुटेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी अभियुक्तगण के द्वारा मृतक नाईद के साथ ना तो कोई मारपीट की गयी और ना ही हत्या करने के आशय से कोई कार्य किया गया । अभियुक्तगण हरीश व खेमचंद के द्वारा तो मृतक नाईद के उपर कोई पत्थर आदि भी नहीं फेंके गये और ना ही कोई मारपीट की गयी और उक्त दोनों अभियक्तगण के विरूद्ध किसी भी गवाह ने कोई साक्ष्य भी नहीं दी है। और सी.सी.टी.वी फुटेज में भी उक्त दोनों अभियुक्तगण के द्वारा कोई भी कार्य करना स्पष्ट रूप से दर्शित नहीं हो रहा है। **अतः अभियुक्तगण ने षडयंत्रपूर्वक आपराधिक बल का प्रयोग कर मारपीट कर मृतक नाईद की हत्या की हो यह किसी भी गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता है। अतः उक्त तीनों अभियुक्तगण मनसुख, हरीश व खेमचंद अपराध अंतर्गत धारा 148, 302, 120बी भा.दं.सं. से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं ।**

49. किसी भी व्यक्ति पर हत्या के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी व्यक्ति पर इस आशय से वार करे कि जिससे उसकी हत्या हो जाए तो वह अंतर्गत धारा 300 भा.दं.सं. की श्रेणी में आता है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति बिना हत्या के आशय से कोई वार करता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति अंतर्गत धारा 300 भा.दं.सं. की श्रेणी के अपराध में नहीं आकर

अंतर्गत धारा 299 भा.दं.सं. आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है । और प्रस्तुत प्रकरण में भी अभियुक्त मनसुख के द्वारा जो बोतल फेंकी गयी मृतक नाहिद की हत्या करने के आशय से फेंकी गयी हो यह किसी भी गवाह की साक्ष्य से साबित नहीं होता है । **इसलिए अभियुक्त मनसुख का कार्य अंतर्गत धारा 299 भा.दं.सं. के अपराध की श्रेणी में आते हुए अंतर्गत धारा 304 के भाग ii भा.दं.सं. से दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।**

50. परन्तु अभियुक्त मनसुख के द्वारा पीडित नाईद के ऊपर बोतल फेंकने और उसके बोतल फेंकने के कारण मृतक नाईद के अनबैलेन्स होकर ट्रेक्टर से गिर जाने से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अभियुक्त मनसुख ने भले ही बिना हत्या के आशय से बोतल फेंकी हो, परन्तु उसके बोतल फेंकने के कारण ही मृतक नाईद अनबैलेन्स हुआ और ट्रेक्टर के पहिये के नीचे आकर उसकी मृत्यु हुयी । **अतः अभियुक्त मनसुख का उक्त कार्य अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. की श्रेणी में नहीं आकर अपराध अंतर्गत धारा 304 के भाग ii की श्रेणी में आता है। <u>धारा 304 का भाग ii निम्न प्रकार है-</u>**

'' यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।"

51. गवाह पी डब्ल्यू 10 आरिफ के कथनों की पुष्टि **गवाह पी डब्ल्यू 11 दीन मौहम्मद** के द्वारा की गयी है । गवाह पी डब्ल्यू 11 दीन मौहम्मद मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह घटना वाले दिन दूध देने आया था। वह सूखा सैनी की दुकान पर अखबार पढ रहा था। उसके सामने से एक ट्रेक्टर तेजी से आया और उस ट्रेक्टर के बांये हाथ की मडगार्ड पर एक लडका गिरा हुआ था। थोडी दूर आगे चलकर वह लडका ट्रेक्टर के आगे पहिये के आगे गिर गया और ट्रेक्टर का आगे का पहिया उसके उपर से निकल गया और ट्रोली पहाड के मलबे से भरी हुई थी और उसका ट्रोली का पहिया भी निकल गया।

52. उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त गवाह भी स्पष्ट रूप से साबित करता है कि अभियुक्त मनसुख के द्वारा बोतल फेंकने से मृतक अनबैलन्स होकर ट्रेक्टर से नीचे गिर गया और

उसकी पहिये के नीचे आने से मृत्यु हुयी ।

53. **गवाह पी डब्ल्यू 12 सुभान, पी डब्ल्यू 13 सुबेदीन** मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि वह जमींदारा करते हैं । करीब 1 साल पहले की बात है एक ट्रेक्टर रोडी से भरा हुआ आ रहा था। फिर एक ज्ञानी का छोरा पत्थर लेकर भागा और मूलचंद के पोते ने हरसु के बोतल की मारी जिससे वह गिर गया और ट्रेक्टर के नीचे आ गया। ट्रेक्टर नहीं पलटा और चलता ही चला गया। काफी लोग वहां इकठठे हो गए।

54. जिरह में भी उक्त दोनों गवाह इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करते हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि मृतक की मृत्यु ट्रेक्टर ट्रोली के नीचे आने से हुयी थी । परन्तु उक्त गवाह यह भी स्पष्ट रूप से कथन करते हैं कि एक लडके ने बोतल की मारी थी जिसके कारण मृतक अनबैलेन्स हो गया और वह ट्रेक्टर के नीचे आ गया और यही घटना सी.सी.टी.वी कैमरे में भी स्पष्ट रूप से दर्शित हो रही है। जिससे भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मनसुख के द्वारा बोतल को फैंकने के कारण ही मृतक नाईद अनबैलेन्स होकर ट्रेक्टर से नीचे गिर गया और ट्रेक्टर के पहिये के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो गयी ।

55. **गवाह पी डब्लयू 22 डॉ० बाबूलाल यादव** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 28.02.2023 को चिकित्साधिकारी सीएचसी रामगढ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना रामगढ की तहरीर पर उसके द्वारा मृतक नाहिद खां पुत्र रहमदीन का पोस्टमार्टम किया गया था। पुलिस के द्वारा दी गई तहरीर की प्रति प्रदर्श पी 57 है जिस पर प्राप्ति के बतौर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मृतक का शरीर सामान्य कद काठी का था। मृतक ने सफेद टी शर्ट सफेद बनियान और नीली जींस पहनी थी। दोनों आंखे बंद थी। मुंह आधा खुला था। राईगर मोर्टिस उपस्थित थी। शव गली हुई नहीं थी। मृतक के चेहरे की दाहिनी जाईगोमेटिक और मेग्जीलरी बोन फ्रेक्चर थी। सिर के दाहिनी फ्रंटो पैराईटल बोन फ्रेक्चर थी। दाहिनी तरफ की टेम्पोपेराईटल बोन फ्रेक्चर थी। अपर एवं लोहर टीथ टूटे हुए थे राईट मेंडिबल बोन फ्रेक्चर थी।

56. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि छाती पर कोई चोट नहीं थी। मृतक के पेट पर भी कोई चोट नहीं थी। दाहिने कंधे पर घाव का निशान था जिसकी लं. चौ. 4 गुणा 3 सेमी. थी जो साधारण प्रकृति की थी। दाहिने कंधे के पीछे 6

गुणा 3 सेमी. का घाव था जो साधारण प्रकृति का था। मृतक की सीधे पैर में घुटने के नीचे 4 गुणा 2 सेमी. का घाव था जो साधारण प्रकृति का था। मृतक के माथे पर 3 गुणा 3 सेमी. का घाव था। यह भी साधारण था। मृतक के शरीर के जब पलटकर देखा तो उसके दोनों नाक से खून आ रहा था। चोटों की अवधि 5 घण्टे की भीतर की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी कलमी है जो प्रदर्श पी 22 है जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय में मृतक की मृत्यु सिर में चोट के कारण बहुत ज्यादा खून निकल जाने के कारण हुई थी। सिर के दाहिनी फ्रंटो पैराईटल बोन फ्रेक्चर थी और दाहिनी तरफ की टेम्पोपेराईटल बोन फ्रेक्चर थी जो मृत्यु के लिए पर्याप्त थी।

57. जिरह में गवाह कथन करता है कि पुलिस द्वारा जो सूचना दी गयी उसके अनुसार मृतक की मृत्यु सडक दुर्घटना में होना बताया जिसका उल्लेख प्रदर्श पी 22 में जी से एच भाग में उसके द्वारा किया गया । मृतक के शरीर व सिर पर किसी कांच की वस्तु उसने नहीं पायी ।

58. **गवाह पी डब्ल्यू 20 सुरेन्द्र कुमार** आई.ओ है । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 01.03.2023 को वह थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ अलवर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन परिवादी मुस्ताक ने एक तहरीर रिपोर्ट पेश की जिस पर उनके निर्देशन में कार्यवाही पुलिस लिखी जाकर मुकदमा नं. 113/23 धारा 143,302 आईपीसी में दर्ज कर अनुंधान शुरू किया गया। परिवादी मुस्ताक द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है। जिस पर ई से एफ व जी से एच कार्यवाही पुलिस अंकित की गई व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी-7 है जिस पर ए से बी परिवादी मुस्ताक के व उसके डिजिटल हस्ताक्षर है। प्रकरण में मृतक नाहिद की पंचायतनामा कार्यवाही पूर्व में दिनांक 28.02.23 को बनाई गई थी जिसे प्राप्त कर फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी-3 व रसीद लाश प्रदर्श पी-10 हैड कानि. अमीचंद के द्वारा तैयार किया गया था जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

59. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि प्रकरण में बयानात परिवादी मुस्ताक के व गवाहान रहमदीन, सकील अहमद, सुभान खान, सुबेदीन, सिराजू, इसराईल खां, दीनमोहम्मद के बयान धारा 161 सीआरपीसी उनके कथनानुसार किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। घटनास्थल पर जाकर नक्शा मौका घटनास्थल परिवादी व गवाहान की उपथिति में तैयार किया गया। जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर

ई से एफ परिवादी व ए से बी व सी से डी गवाहान तथा जी से एफ उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर आई से जे हालात मौका एवं जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

60. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी को बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया जाकर खून आलूदा मिट्टी को एक पॉलोथीन में रखकर सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्का ए व सादा मिट्टी को पॉलोथीन में रखकर सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया गया। फर्द जप्ती खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी प्रदर्श पी-4 उसके द्वारा तैयार की गई । जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है।

61. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि प्रकरण में मृतक नाहिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट श्रीमान एम ओ साहब से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी 22 है। प्रकरण में गवाहान के साक्ष्यों से जुर्म धारा 143, 302 आईपीसी में प्रमाणित पाये जाने पर मुल्जिम मनसुख को नियमानुसार जर्ये फर्द प्रदर्श पी 13 के गिरफ्तार किया गया । जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुल्जिम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुल्जिम का फोटो है। दौराने अनुसंधान गिरफतारशुदा मुल्जिम मनसुख ने स्वेच्छा से आई ओ को इत्तला दी कि उसने जिस कांच की ड्यू की बोतल से ट्रेक्टर डाईवर नाहिद के मारी थी उसको उसने अपनी दुकान में छिपा दिया था जिसे चलकर बता सकता है। मुल्जिम का कथन उसके कहे अनुसार लिखा जाकर फर्द 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी मुल्जिम मनसुख के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

62. उक्त् गवाह यह भी कथन करता है कि दौराने अनुसंधान मुताबिक इत्तला 27 साक्ष्य अधि. के मुल्जिम मनसुख के कहेअनुसार एक कांच की बोतल खाली को मुल्जिम द्वारा अपनी परचूनी की दुकान से निकालकर पेश की गई। ड्यू की खाली बोतल रंग हरा जिसपर 300 एमएल व दोनों ओर अंग्रेजी में ड्यू माउण्टेन लहर माउण्टेन ड्यू कंटेंस नो फ्रूटस लिखा हुआ है को गवाहान के समक्ष प्लास्टिक की थैली में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का सी अंकित किया गया। जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी, सी से डी

गवाहान के, ई से एफ मुल्जिम मनसुख के और जी से एच उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था जो प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुल्जिम मनसुख के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है, जिसकी पुश्त पर आई से जे हालात मौका व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में बतौर सबूत मृतक द्वारा वक्त घटना चलाया हुआ ट्रेक्टर फार्मा टेक 60 मय ट्रोली बरंग नीला बिना नंबरी को गवाहान के समक्ष जर्ये फर्द प्रदर्श पी 8 के जब्त किया गया था जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के और ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

63. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि प्रकरण में जुर्म धारा 143, 302 आईपीसी मुल्जिम खेमचंद के विरूद्ध प्रमाणित पाए जाने पर मुल्जिम को जर्ये फर्द प्रदर्श पी 14 के गिरफ्तार किया गया था जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर मुल्जिम की अंगूठा निशानी है व वाई स्थान पर फोटो चस्पा है। दौराने अनुसंधान मुल्जिम खेमचंद द्वारा आई ओ को स्वेच्छा पूर्वक इत्तला दी कि जहां पर मनसुख ने कांच की ड्यू की बोतल से ट्रेक्टर ड्राईवर नाहिद के मारी थी व उसका झगडा हुआ था उस स्थान को वह चलकर बता सकता है। मुल्जिम खेमचंद द्वारा दी गई इत्तला की फर्द 27 साक्ष्य. अधिनियम प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर मुल्जिम खेमचंद की अंगूठा निशानी है। मुल्जिम खेमचंद की इत्तला के मुताबिक तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 16 बनाया गया था जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर मुल्जिम की अंगूठा निशानी है जिसकी पुश्त पर जी से एच हालात मौका व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

64. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि प्रकरण में अंर्तगत जुर्म धारा 143, 302 आईपीसी के प्रमाणित पाए जाने पर मुल्जिम हरीश उर्फ हरचंद को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुल्जिम हरीश के व जी स एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुल्जिम की फोटो है। दौराने अनुसंधान मुल्जिम हरीश द्वारा स्वेच्छा पूर्वक आई ओ को इत्तला दी कि जहां उसका व ट्रेक्टर चालक नाहिद का झगडा हुआ था व जहां खेमचंद द्वारा रोकने की कोशिश की थी व जहां मनसुख ने कांच की ड्यू की बोतल ट्रेक्टर चालक नाहिद के मारी व जहां ट्रेक्टर चालक नाहिद ट्रेक्टर से नीचे गिरकर मरा था उस स्थान को वह चलकर बता

सकता है। मुल्जिम के कथन को इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम की फर्द बनाई गई थी जो प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी मुल्जिम अरीश के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

65. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुताबिक इत्तला मुल्जिम हरीशचंद के तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 20 बनाया गया था जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुल्जिम हरीश के व जी स एच उसके हस्ताक्षर है पुश्त पर आई से जे हालात नक्शा मौका व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में घटनास्थल जिस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था उस कैमरे मालिक द्वारा पेश मूल रिकॉर्डिगं की डीबीआर को उसके मालिक तारिफ खान द्वारा पेश किया गया था। जिसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील मोहर कर मार्का डी अंकित किया था। जिसकी फर्द प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी, सी से डी, गवाहान के, ई से एफ तारिफ के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। प्रकरण में डीबीआर मालिक तारिफ द्वारा पेश धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया था जिस पर ए से बी तारिफ के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा पेश शपथ पत्र पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। शामिल पत्रावली का नोट अंकित किया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

66. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि प्रकरण में परिवादी मुश्ताक द्वारा घटना से सम्बंधित 10 रंगीन फोटोग्राफ व घटना की रिकॉर्डिंग परिवादी द्वारा देखकर अपनी पेनड्राईव में रिकॉर्ड की थी। वो एक पेनड्राईव परिवादी द्वारा पेश करने पर पेनड्राईव व 10 रंगीन फोटों को जर्ये फर्द जब्त किया था । जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी, ई से एफ गवाहान के, सी से डी पेशकर्ता परिवादी मुश्ताक के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। शामिल पत्रावली फोटो प्रदर्श पी 26 लगायत 35 है जिन सभी के पीछे शामिल पत्रावाली का नोट अंकित है । जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

67. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि पेन ड्राईव असल पत्रावली पर मौजूद है जो आर्टिकल 1 है। जिसके पेशकर्ता मुश्ताक द्वारा धारा 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 36 है जिस पर ए से बी मुश्ताक के हस्ताक्षर है व शपथपत्र पर भी ए से बी मुश्ताक के हस्ताक्षर है । जिस पर शामिल पत्रावली का नोट है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में खून आलूद मिट्टी व सादा मिट्टी सील

मोहर मार्का ए व बी, व कांच की ड्यू की खाली बोतल सील मोहर मार्का सी को परीक्षण हेतु एफएसएल जयपुर जमा करवाने हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाने बाबत् श्रीमान एस पी साहब अलवर को दिया गया पत्र प्रदर्श पी 37 है । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एस पी साहब अलवर द्वारा प्रादशों मार्का ए, बी, सी को एफएसएल जयपुर परीक्षण करवाने बाबत दिया गया पत्र प्रदर्श पी 39 है जिसकी जमा एफएसएल रसीद प्रदर्श पी 40 है।

68. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि प्रकरण में जब्तशुदा डीबीआर मार्का डी व पेनड्राईव को परीक्षण हेतु एफएसएल में जमा करवाने हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाने बाबत् एस पी साहब को दिया गया पत्र प्रदर्श पी 38 है । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एस पी साहब अलवर द्वारा प्रादशों मार्का डी, ई को एफएसएल जयपुर परीक्षण करवाने बाबत दिया गया पत्र प्रदर्श पी 41 है जिसकी जमा एफएसएल रसीद प्रदर्श पी 21 है। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को जमा मालखाना करवाया गया था जिसकी नकल मालखाना रजिस्टर शामिल पत्रावली किया था जो प्रदर्श पी 42 है। प्रकरण में समस्त रवानगी, वापसी को रोजनामचा आम में लेखबद्ध किया गया था जिनकी नकल रोजनामचा आम प्रदर्श पी 43 लगायत 56 है। प्रकरण में मुल्जिमान मनसुख, खेमचंद और हरीश के विरूद्ध जुर्म धारा 302, 120 बी आईपीसी में प्रमाणित पाये जाने पर मुल्जिमान उक्त मनसुख, खेमचंद और हरीश के विरूद्ध पूर्ण चार्जशीट श्रीमान एस पी साहब के कार्यालय के आदेश क्रमांक 2447-48 दिनांक 28.05.2023 चार्ज शीट सं. 179/2023 किता की गई थी एंव प्रकरण में अन्य मुल्जिमान के विरूद्ध अंर्तगत धारा 173[8] सीआरपीसी में अनुसंधान पेंडिंग रखा गया था। एवं मुल्जिमान मनसुख, खेमचंद और हरीश के विरूद्ध जुर्म धारा 302 व 120बी आईपीसी में चार्जशीट पेश न्यायालय श्रीमान की गई थी जिसके प्रत्येक पन्ने पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

69. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-58 व प्रदर्श पी-59 है। शील्ड अवस्था मे एक सफेद कपडे की थैली जिस पर एफएसएल/ डीएनए/ परीक्षण 1359/23 तथा एफआईआर नम्बर 113/23 थाना रामगढ का अंकन है जिसे अनशील्ड किया गया । जिसमें अनशील्ड अवस्था मे एक सफेद कपडे की थैली जिस पर मार्का सी अंकित है जिसमे एक पोलोथीन में पेय पदार्थ ड्यू की खाली कांच की बोतल मिट्टी लगी हुई मिली जो आर्टिकल "02" है। शील्ड अवस्था मे एक सफेद कपडे की थैली जिस पर प्रादर्श "01"

अंकित है एवं एफएसएल का नोट तथा एफआईआर नम्बर 113/23 थाना रामगढ का अंकन है जिसे अनशील्ड किया गया जिसमें एक सफेद कपडे की थैली जिस पर मार्का ए की चिटचेपा अंकित है । जिस पर ए से बी , सी से डी , गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर दो जगह नमूना सील अंकित है। जिसके भीतर एक प्लास्टिक की पालीथिन मे खून आलूदा मिट्टी है तथा एफएसएल की पर्ची रखी हुई है जो आर्टिकल "03" है।

70. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि शील्ड अवस्था मे एक सफेद कपडे की थैली जिस पर पैकेट बी एवं एफएसएल का नोट तथा एफआईआर नम्बर 113/23 थाना रामगढ का अंकन है जिसे अनशील्ड किया गया जिसमें एक सफेद कपडे की थैली जिस पर मार्का बी की चिटचेपा अंकित है जिस पर ए से बी , सी से डी , गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है । जिसके भीतर एक प्लास्टिक की पॉलीथिन में सादा मिट्टी है जो आर्टिकल "04" है।

71. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि परिवादी व अभियुक्तगण के मध्य कोई रंजिश हो ऐसा कोई दस्तावेज दौराने अनुसंधान उसे प्राप्त नहीं हुआ ।

72. इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया है कि पीडित व अभियुक्तगण के मध्य कोई रंजिश नहीं थी । तो अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत होता है क्योंकि पत्रावली पर किसी भी गवाह की साक्ष्य से व अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान से भी कहीं पर भी यह साबित नहीं होता है कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई रंजिश रही हो । और उसी कारण अभियुक्त ने मृतक नाईद की हत्या की हो ।

73. मृतक नाईद की मृत्यु निश्चित रूप् से ट्रेक्टर के पहिये के नीचे आने से हुयी है, परन्तु मृतक नाईद ट्रेक्टर के पहिये के नीचे अभियुक्त मनसुख के द्वारा बोतल फेंकने के कारण अनबैलेन्स होकर नीचे गिरा था और इसी कारण उसकी मृत्यु हुयी थी ।

74 गवाह पी डब्ल्यू 20 सुरेन्द्र कुमार अपनी जिरह में यह भी स्वीकार करता हे कि उसके द्वारा पैन ड्राईव व फोटो आदि उपलब्ध करवाये गये हैं और धारा 65 बी

का प्रमाण पत्र भी लिया गया है। तो पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफ्स व पैन ड्राईव की जो वीडियो है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त मनसुख के द्वारा ही मृतक नाईद पर बोतल फेंकी गयी है और किसी भी अन्य अभियुक्त हरीश व खेमचंद के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया । इसके बावजूद उक्त दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध क्यों आरोप पत्र पेश किया गया इस संबंध में गवाह पी डब्ल्यू 20 सुरेन्द्र कुमार अनुसंधान अधिकारी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं देता है।

75. इस प्रकार उक्त गवाह अभियुक्त मनसुख के द्वारा बातल फेंकने आदि के संबंध में तो स्पष्ट साक्ष्य देता है, परन्तु अभियुक्तगण हरीश व खेमचंद के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं देता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य व सी.सी.टी.वी फुटेज से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मनसुख के द्वारा हत्या करने के आशय से कोई मारपीट आदि नहीं की गयी । परन्तु अभियुक्त मनसुख द्वारा मृतक नाहिद जब ट्रेक्टर चला रहा था उसके ट्रेक्टर चलाते समय उसके बोतल फेंककर मारी जिससे मृतक का बैलेन्स बिगड गया और वह ट्रेक्टर से नीचे गिर गया और ट्रेक्टर का पहिया उस पर चढ गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । तथा अभियोजन साक्ष्य से यह भी साबित नहीं है कि अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर कोई आपराधिक षडयंत्र रचा हो व विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी के भतीजे मृतक नाहिद के साथ मारपीट कर आपराधिक बल का प्रयोग कर बलवा कारित किया हो ।

76. अतः अभियुक्तगण मनसुख, हरीश, खेमचंद अपराध अंतर्गत धारा 148, 302 सपठित धारा 149, 120बी भा.दं.सं. के तहत दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। परन्तु अभियुक्त मनसुख के विरूद्ध अपराध अंतर्गत **धारा 304 के भाग** ii का आरोप अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित होता है।

आदेश

77. अतः अभियुक्तगण **1. मनसुख सैनी** पुत्र मवासी राम उर्फ अन्ना **2. खेमचंद उर्फ खेमा** पुत्र ज्ञानी **3. हरीशचंद उर्फ हरचंद** पुत्र गिरधारीलाल निवासीयान - मिलकपुर, पुलिस थाना रामगढ़, अलवर को आरोपित **अपराध अंतर्गत धारा 148, 302 सपठित धारा 149, 120बी भा.दं.सं. में दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

तथा अभियुक्त **मनसुख सैनी** पुत्र मवासी राम उर्फ अन्ना निवासी मिलकपुर पुलिस थाना रामगढ अलवर को अपराध अंतर्गत धारा **धारा 304 के भाग** ii **अनुसार दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।**

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

<u>दण्ड के प्रश्न पर सुना गया ।</u>

78. दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त को सुना गया । दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है वह आगे ऐसा अपराध नहीं करेगा । अभियुक्त वर्ष 2023 से अन्वीक्षा भुगत रहा है । उसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

79. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त को उसके कृत्य की अधिक से अधिक सजा दी जावे ।

80. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

81. उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त वर्ष 2023 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। परन्तु अभियुक्त मनसुख के विरूद्ध मृतक नाहिद के उपर बोतल फैंकने जिससे मृतक नाहिद के अनबैलेन्स होकर ट्रेक्टर से नीचे गिर जाने और ट्रेक्टर का पहिया उस पर चढ जाने से उसकी मृत्यु हो जाने का आरोप है। ऐसी दशा में अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>दंडादेश</u>

82. अतः अभियुक्त **मनसुख सैनी** पुत्र मवासी राम उर्फ अन्ना निवासी मिलकपुर, पुलिस थाना रामगढ़, अलवर को आरोपित **अपराध अंतर्गत धारा 304 के भाग** ii **भा.दं.सं. अनुसार** दोषसिद्ध किया जाकर निम्न दंड से दंडित किया जाता है-

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	धारा	सजा	जुर्माना	अदम अदायगी जुर्माना
1	मनसुख सैनी	**धारा 304 के भाग** ii **भा.दं.सं.**	दस वर्ष का साधारण कारावास	पचास हजार रूपये जुर्माना	अदम अदायगी जुर्माना एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास

83. अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में भुगती हुई सजा को मूल सजा में धारा 428 सी.आर.पी.सी के तहत समायोजित किया जावे ।

84. अभियुक्त का सजा वारण्ट पृथक से बनाया जावे ।

85. **प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण गुलाब, मानसिंह, देवीसिंह, ताराचंद के विरूद्ध विचारण शेष है । अतः पत्रावली के सरबरक पर इस आशय का लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण शेष है। अतः पत्रावली का कोई भाग/माल वजह सबूत नष्ट नहीं किया जावे ।**

86. चूंकि संविधान के अनुसार भारत लोक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए राज्य शासन द्वारा पीडित प्रतिकर स्कीम वर्ष 2011 बनायी गयी है तथा इस संबंध में द.प्र.सं. 1973 की धारा 357 में आवश्यक संशोधन किए जाकर धारा 357 क,ख व ग भी जोडी गयी है, जिसका सार मात्र यही है कि यदि किसी आपराधिक घटना के परिणामस्वरूप पीडित व्यक्ति को कोई शारीरिक अथवा सांपत्तिक क्षति अथवा नुकसान होता हो तो इसकी पूर्ति नियमानुसार करवायी जा सके ।

87. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए **मृतक नाहिद के माता-पिता** को धारा 357 [क] दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिकर दिलाये जाने हेतु प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर को अनुशंसा किये जाने योग्य पाया जाता है तथा निर्णय की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर को मृतक **मृतक नाहिद के माता-पिता** को उचित प्रतिकर राशि दिलाये जाने हेतु प्रेषित की जावे ।

88. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

89. निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर